

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सीएसआर/2024/4-793/84/ दिनांक : यथा हस्ताक्षर 26/6/25

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,  
समस्त जिले।

**विषय:** ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से कम्पनी/एनजीओ/व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट व अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कम्पनी/एनजीओ/व्यक्तिगत दानदाताओं को राजकीय विद्यालय विकास में सहभागी बनाने हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल 2017 से संचालित किया जा रहा है।

कम्पनी/एनजीओ/व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा विभिन्न राजकीय विद्यालयों में विकास कार्य के अनुमोदन हेतु ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये जाते हैं, ये सभी प्रस्तुत पूर्णतया स्वैच्छिक (Voluntary) होते हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग या राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन किया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स को राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अतः जिला कार्यालय पर इन संस्था प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विती हेतु अपेक्षित सहयोग के क्रम सम्पर्क किया जाता है। सभी जिला शिक्षा कार्यालय/विद्यालय इनके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें परन्तु निम्न बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जावें-

1. सभी प्रोजेक्ट्स विभाग की दृष्टि से गैर वित्तीय भार वाले होते हैं अर्थात् इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा और ना ही भविष्य में कोई वित्तीय जिम्मेदारी होगी।
2. प्रोजेक्ट कम्पनी/संस्था/व्यक्तिगत भामाशाह द्वारा प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय जिम्मेदारी क्रियान्वयन करने वाली संस्था/कम्पनी/दानदाता की होगी।
3. किसी भौतिक संरचना के निर्माण वाले प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स निर्माण व सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की होगी परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि निर्माण कार्य शिक्षा विभाग के निर्माण मानकों के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण हो।
4. यदि प्रोजेक्ट में किसी वस्तु व सामग्री को विद्यालयों को दिया जाना है या विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है तो सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे तथा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार स्थायी/अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर पूर्ति की जावे।
5. बिन्दु संख्या 4 में वर्णित वस्तु/ सामग्री की भामाशाह/दानदाता द्वारा प्रस्तुत बिल/दस्तावेजों के आधार अनुमानित लागत राशि का भी इन्द्राज किया जावे जिससे भविष्य में जिला व राज्य स्तरीय सम्मान के सत्यापन के समय भामाशाहों/दानदाताओं के लागत राशि के आंकलन में समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
6. यदि किसी प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों को दिये जाने वाली सामग्री के साथ उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है तो विद्यालयों में प्रशिक्षण देने वाले संस्था के प्रतिनिधियों की पूर्ण सत्यापन कर इस प्रकार से समय आवंटित किया जावे कि विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन अध्ययन-अध्यापन में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। साथ ही विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जावे।

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सीएसआर/2024/F-773/84/ दिनांक : यथा हस्ताक्षर

7. प्रोजेक्ट विशेषकर जिनमें सामग्री वितरण सहित कौशल/स्किल प्रशिक्षण वर्णित है ध्यान में रखा जावे कि अनुमोदित प्रोजेक्ट संस्था का स्वैच्छिक प्रोजेक्ट है। स्कूल शिक्षा विभाग/समग्र शिक्षा/राजकीय विभाग का संचालित प्रोजेक्ट नहीं है। इस हेतु संस्था द्वारा विद्यालय में भेजे वाले प्रशिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र यथा- विद्यालय में कार्यग्रहण आदेश, उपस्थिति आदेश, कार्यमुक्ति आदेश इत्यादि जारी नहीं किया जावे। ना ही विद्यालय की सामान्य अध्यापन समय-सारणी में स्थान प्रदान किया जावे।
8. विद्यालय में प्रस्तावित कार्य पूर्ण कर विद्यालय को सौपने के उपरान्त संस्था/व्यक्तिगत भामाशाह को कार्य पूर्ण का धन्यवाद पत्र जारी किया जावे परन्तु संस्था के सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि यह पत्र संस्था के नाम से जारी किया जावे व्यक्तिगत नहीं। साथ ही दिनांक अंकित की जावे जिससे भामाशाह सम्मान में वित्तीय वर्ष निर्धारित करने में आसानी रहे।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जब भी विद्यालय का अवलोकन करें ताे भामाशाह/दानदाता/कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों का भी अवलोकन कर सम्बल प्रदान करें एवं विद्यालयों दानदाता/भामाशाह पट्टिका लगवाने हेतु प्रेरित करें जिससे विद्यालय में आने वाले अन्य व्यक्ति भी प्रेरित हो सकें।

अतः सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के समस्त जिला/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व पीईईओ/यूसीईईओ तथा राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें। साथ ही वर्ष के प्रारंभ होने वाले संस्था प्रधान की संगोष्ठी में इस सम्बन्ध में उद्बोधन प्रदान किया जावे।

(अनुपमा जोरवाल)

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
6. नोडल अधिकारी एवं शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
7. उपायुक्त प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय को देकर लेख है कि पत्रानुसार विद्यालय में प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

Document certified by Anupama Jorwal  
<anupamajorwal@gmail.com>

Digitally Signed by Anupama  
Jorwal  
Designation : State Project  
Director  
Date :26-06-2025 04:22:44